

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2017/माघ 3, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 323
No. 23]	DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2017/MAGHA 3, 1938	[N.C.T.D. No. 323

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

फा. सं. 07 (367)(39)/2002/यूडी/पा.फाई.—III/340—359.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 169 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बी. एस. चुम्बक (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी) को नगर कराधान न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री बी. एस. चुम्बक, न्यायाधिकरण में पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे तथा अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु होने तक, इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जनक दिगल, प्रधान सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th January, 2017

F. No. 7 (367)/39/2002/UD/Pt. III/340-359.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 169 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. B. S. Chumbak (retired officer of the Delhi Higher Judicial Service) as Member (Judicial) of the Municipal Taxation Tribunal.

Sh. B. S. Chumbak shall render full time service to the said Tribunal and shall hold office from the date on which he assumes charge of the office for a period of five years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

JANAK DIGAL, Principal Secy.